न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 29 / 2017
जीसीएमएस नम्बर :: 2017 / 00354

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थी:– |
|---|---|---|
| सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) जैतारण जिला पाली | | रामपाल पुत्र शंकरदास कौम साद निवासी मालपुरिया तहसील जैतारण जिला पाली |

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– सरकारी पैरोकार उपस्थित सुरेन्द्र सिंह लबाना
एवं अधिवक्ता अप्रार्थी श्री मदनदास वैष्णव

–:: आदेश ::–

दिनांक:– 7-1-21

तहसीलदार जैतारण द्वारा यह प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी बी सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में प्रदत्त निर्देशों की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं बहस उभय पक्ष सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा ग्राम मालपुरिया पटवार हल्का बिरोल के खसरा नम्बर 228 कुल रकबा 328 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नदी में से जरिये ओदश क्रमांक 877–78 दिनाँक 07.04.1976 के भूमी में से 0.05 बीघा भूमी का आवंटन अप्रार्थी के हक में Allotment of land for digging of well and installing of pumping set for irrigation purpose rules, 1970 के तहत किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 433 भरा गया एवं आवंटी को लीजदार दर्ज किया गया एवं भूमी की किस्म कॉलम नम्बर 12 में गैर मुमकिन नदी से गैर मुमकिन बेरा दर्ज कर दिया गया गैर मुमकिन नदी की भूमी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी की श्रेणी में होने से न तो इसकी किस्म बदली जा सकती है न ही ऐसी भूमियों का आवंटन ही किया जा सकता है अतः उक्त आवंटन निरस्त कराने एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनाँक 02.08.2004 के प्रदत निर्देशों की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को उक्त आवंटन एवं किस्म बदलने के ओदश को निरस्त करा कर भूमि पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स फरमाया जावे जिससे डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णय दिनाँक 02.08.2004 में प्रदत निर्देशों की पालना की जा सके।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि इस प्रकरण में जैर प्रार्थना पत्र भूमी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं कर अलग से बने नियम Allotment of land for digging of well and installing of pumping set for irrigation purpose rules, 1970 के तहत 5 बिस्वा भूमी लीज पर दी गई है। जो 10 वर्षो हेतु दी गई थी जिसकी किस्म बदलने की आवश्यकता नहीं थी। इस नियमों के तहत भूमी किसी भी स्वरूप गैर मुमकिन नदी, नाडी नाले आदि किस्म में सिंचाई प्रयोजनार्थ पानी की उपलब्धता पर आवंटन करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी महोदय को होने से किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के निर्णयों से एवं उसमें प्रदत निर्देशों से प्रभावित नहीं है। प्रार्थी द्वारा 10 वर्षो की लीज राशि पूर्व में ही 24 रूपये प्रतिवर्ष की दर से 240 रूपये भर दिये है ऐसी स्थिति में यह प्रकरण रेफरेन्स किया जाना विधिसम्मत नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थी श्री रामपाल को ग्राम मालपुरिया के पटवार हल्का बिरोल तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 228 गैर मुमकीन नदी में 0.05 बीघा भूमी(5 बिस्वा) अन्तर्गत नियम Allotment of land for digging of well and installing of pumping set for irrigation purpose rules, 1970 के तहत जरिए आदेश Rev./2001/238 दिनांक 12.02.2001 के 10 वर्षों के लिए 24 रूपये प्रतिवर्ष की दर से लीज पर दिया गया है। न कि कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन हेतु किया गया है। इसमें 10 वर्षों की अवधी हेतु आवंटन किया गया था जो नामान्तरकरण संख्या 433 दिनांक 13.09.2003 से स्पष्ट है जिसमें अप्रार्थी को लीजदार दर्ज किया हुआ है न कि गैर खातेदार अथवा खातेदार। न ही नदी की किस्म बदली गई है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत मंदिर की भूमियों तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमी के आवंटन होने पर ही रेफरेन्स किया जाना आज्ञापक है। उक्त आवंटन धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नहीं आता है। तो रेफरेन्स हेतु भिजवाया जाना भी विधी सम्मत प्रतित नहीं होता है।

अप्रार्थी को उक्त भूमी मे से 5 बिस्वा भूमी उपखण्ड अधिकारी जैतारण के आदेशानुसार 10 वर्षों के लिए 12.02.2001 के आदेशानुसार लीज पर दी गई थी जिसकी 10 वर्षो की अवधि 12.02.2011 को पूर्व हो चूकी है। लीज अवधी को बढाया गया अथवा नहीं तथा आवंटित 0.05 बिस्वा भूमी पर कुआ खोदा गया एवं पंपसेट लगाया या नहीं यह कही पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रेफरेन्स किया जाना विधिसम्मत नहीं है इसलिए प्रकरण तहसीलदार जैतारण को इस आशय से पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवंटित जैर प्रार्थना पत्र भूमी का मौका मुआयना कर कुआ खुदवाया या नहीं लीज अवधी के बाद लीज का पुनः नवीनीकरण कराया गया अथवा नहीं तथा बाद उपरोक्त कार्यवाही के आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया गया है अथवा लीज का आगे नवीनीकरण नहीं करवाया गया अथवा अन्य कोई युक्तीयुक्त कारण होने पर तद्नुरूप विधी सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित करे। प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध तथ्यों के परे होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7-1-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:53 IST
Reason: SelfAttested